भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1299

(जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन

1299. डॉ. मल्लू रविः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिवाला और शोधन अक्षमता (आईबीसी) में हाल ही में अंतिम रूप दिए गए प्रमुख संशोधन क्या हैं और उनकी अधिसूचना एवं कार्यान्वयन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन संशोधनों की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो इस समीक्षा के दौरान किन-किन प्रमुख चिंताओं या संशोधनों पर प्रकाश डाला गया; और

(ग) संशोधनों से दिवाला समाधान की समय-सीमा में सुधार और न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों में कमी सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संहिता/आईबीसी) के अधिनियमन के बाद से दिवाला ढांचे को सुदृढ़ करने और उभरते बाजार की गतिशीलता के अनुरूप प्रक्रियात्मक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से छह विधायी अंतःक्षेप किए गए हैं। संहिता में प्रमुख संशोधन नीचे दिए गए हैं: -

पहला संशोधन (2017): धारा 29क पेश की गई ताकि ऐसे व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने या संकटग्रस्त कंपनियों को अपने नियंत्रण में लेने से रोका जा सके जिनका विश्वसनीय रिकॉर्ड नहीं है।

दूसरा संशोधन (2018): इसके द्वारा समाधान योजना अनुमोदन हेतु मतदान सीमा घटाकर 66% और नियमित निर्णयों के लिये 51% की गई। सीओसी के 90% अनुमोदन के साथ सीआईआरपी को बंद करने की अनुमति दी, धारा 29क को सुव्यवस्थित किया और आरए के लिए एक वर्ष की छूट अवधि प्रदान की।

तीसरा संशोधन (2019): विलय, समामेलन और विभाजन के माध्यम से पुनर्गठन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। लेनदारों के बीच मतदान की बाधाओं को दूर किया और सरकारी संस्थाओं के लिए समाधान योजनाओं को बाध्यकारी बनाया।

चौथा संशोधन (2019): महत्त्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं को जारी रखने को सुगम बनाता है, सीआईआरपी के समक्ष अपराधों के लिये देनदारियों को समाप्त करने के संबंध में धारा 32क पेश करता है और अनुमोदित समाधान योजनाओं के तहत संरक्षित संपत्ति की व्यवस्था करता है।

पांचवां संशोधन (2020): धारा 10क पुरस्थापित किया गया, जिसमें कोविड-19 के कारण 25 मार्च, 2020 से एक वर्ष तक की अवधि के लिए चूक के लिए दिवालियापन के लागू होने को निलंबित कर दिया गया।

छठा संशोधन (2021): कारपोरेट एमएसएमई के लिये प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया शुरू की गई। सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कामकाज को और मजबूत करने के उद्देश्य से जनता से 18 जनवरी, 2023 को जारी एक चर्चा पत्र के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) एवं (ग): भाग (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

*****